

11/01/19

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उममपल
उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 15 एवं 17 की
वारिस कामनी करावे। प्रतिवादी संख्या 1,
18, 19, 20, 21 के सम्भव पेश करने पर
जाती है। पत्रावली बास्ते वारिस कामनी
तलबी पत्रावली दिनांक 15/01/19 को पेश है।

ACCM

15/01/19 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उममपल

अथ प्रतिवादी संख्या 15 एवं 17 की वारिस कामनी
की कार्यवाही नहीं की गई। आदेशिका दिनांक 17/01/16
से मुक्त प्रतिवादी 15 एवं 17 की वारिस कामनी का आदेश
दिया गया था किन्तु लम्बे समय गुजरने पर भी वारिस
कामनी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः
022 R 4 (3) के तहत प्रतिवादी सं. 15 एवं 17 के विरुद्ध
वादिका उपशमन (Abet) किया जा रहा है। पत्रावली
29/1/19 को पेश है।

1.
7
2

29/1/19 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उममपल अथ पत्रावली
के अलोकन से जाहीर बाधा कि प्रतिवादी/अप्राथी सं. 15 एवं 17 के
विरुद्ध प्रार्थना पत्र उपशमन किया जा रहा है। सुविधितवाद बादा 88-8
199 रजिस्ट्रार कार्यालय की कार्रवाई 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया
था। बादा 88 के तहत मजिस्ट्रेट अथवा जजों को पक्षकार बनाकर आवेदन करके
चले वे अलोकन हो या नहीं। बादा 88 के बाद में भी सभी विद्वेषकार
अपक्षक पक्षकार वेते हैं और उनके विना वाद नहीं चल सकता है। मुझे लिखित
संख्या को पता: नम्बर पर देने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र
अलोकन किया जाता है।
पत्रावली के तहत सुधार हेतु नम्बर लेना की जावे।

सहायक जज पर
कार्यालय मजिस्ट्रेट